डब्लयू की मु0न0 34 किला न0 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर मु0न0 35 किला न0 1 ता 15 की 3.795 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से व कृषि भूमि को बेच, रहन व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे व वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक से समन के पश्चात् उपस्थित न आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं होगा। वादी की तरफ से वादपत्र को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में रामकुमार का शपथ–पत्र पेश किया गया व साक्ष्य समाप्त की।

वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र को इस आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीगण के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि चक न0 9 बी एन डब्लयू के राजस्व रिकार्ड में 6.325 हैक्टर का अंकन है। वादीगण अपने हक व हिस्से व रिकार्ड में अंकनानुसार 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित करवाना चाहते है वादीगण के वादपत्र का किसी भी प्रतिवादीगण ने विरोध नहीं किया वादीगण अपने हक व हिस्से तक की घोषणा चाही है। जिससे रिकार्ड में किसी प्रकार की तबदीली नहीं होगी पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण के नाम से चक न0 9 बी एन डबल्यू की जमाबंदी खाता संख्या 90/90 मे 6.325 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है वादीगण उक्त हद तक खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नहीं होने पर व वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपना वाद सिद्ध किया है। ऐसी स्थिति मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 9 बी एन डब्लयू तहसील सादुलशहर की मु0 न0 34 किला न0 16 ता 25 की 2.530 हैक्टर, मु0न0 35 किला न0 1 ता 15 की 3.795 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में वादी रामकुमार को 4.743 हैक्टर व वादिया सावित्री देवी को 1.582 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार दर्ज किया जाकर अमल दरामद किया जावे।

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.1.2021

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner